(1)

नियमावली

1. समिति का नाम लिबरा वेलफेयर सोसायटी होगा।

2. (अ) समिति का कार्यालय बी/1/6, क्रांति नगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ होगा।

   (ब) संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण बिलासपुर संभाग होगा।

3. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-
   1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के कार्यक्रम कर प्रचार प्रसार करना।
   2. विधवा, परित्यक्ता, असहाय, निर्धन, दलित, पतित, अनाथ, निराश्रित वर्ग के कल्याण के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
   3. महिला एवं बाल विकास तथा कन्या वर्ग के हितार्थ कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
   4. शहरी गरीब वर्ग एवं ग्रामीण जनों का विकास संबंधी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
   5. अंधश्रध्दा, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों, अंधभक्ति आदि के निवारण संबंधी कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना।
   6. वृद्धजनों के लिये वृद्धाश्रम का संचालन करना एवं के कल्याण के क्षेत्र में कार्य करना, शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में योगदान देना।
   7. पर्यावरण विकास, प्रदूषण निवारण, वन विकास, वनवासी उद्धार, वन संरक्षण, वन क्षेत्र विकास, वन्यजीव संरक्षण के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार।
   8. पर्यटन विकास, पर्यटन प्रसार, संबंधी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना, पर्यटन प्रोत्साहन संबंधी कार्य करना।
   9. प्राथमिक शिक्षा, पूर्व माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी प्रचार प्रसार करना।
   10. बाल श्रमिक उन्मूलन, बंधुआ मजदूरी, प्रथा निवारण, पलायन निवारण, विभिन्न प्रकार के ~~रोजगार~~ विकास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार।

सत्य प्रतिलिपि

11. कृषि विकास, कृषक विकास, कृषि क्षेत्र विकास, परम्परागत कृषि एवं आधुनिकतम कृषि कार्य नवीनतम कृषि उपकरणों, भूमि संरक्षण, भू–क्षरण निवारण, कृषि वैज्ञानिक पध्दतियों, सगंध पौधों, फसल चक्र परिवर्तन, पशु विकास, पशु संरक्षण, बंजर भूमि विकास संबंधी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
12. जन स्वास्थ्य विकास, चिकित्सा सुविधा विस्तार, योगा, प्राकृतिक, यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, सिध्दा, स्पर्श चिकित्सा, वनौषधियों के विकास संबंधी प्रचार प्रसार, परिवार कल्याण संबंधी प्रचार प्रसार करना।
13. सांस्कृतिक गतिविधियों, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण सांस्कृतिक विकास के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
14. खेल एवं युवा कल्याण संबंधी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
15. जल संरक्षण, जल क्षेत्र विकास, जल स्त्रोतो का विकास, पेयजल संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण, संरक्षण कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
16. राष्ट्रीय भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं, प्रादेशिक भाषाओं तथा स्थानीय स्तर पर बोली जाने वाली भाषाओं, लोक भाषाओं के विकास एवं कल्याण संबंधी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना। सत्य प्रतिलिपि
17. आध्यात्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
18. जन स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता, ग्रामीण स्वच्छता, शहरी स्वच्छता, गंदी बस्ती स्वच्छता आदि कार्यो का प्रचार प्रसार करना।
19. शारीरिक रूप से अपंग, विकलांग, मानसिक रोगी, अंध मूक बधिर, असमर्थो के उत्थान संबंधी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
20. कुटीर उद्योग विकास एवं संरक्षण, लघु उद्योग, खादी ग्रामोद्योग आदि संबंधी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
21. सम्पूर्ण साक्षरता के विकास संबंधी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना। कौशल विकास का प्रचार प्रसार करना।
22. प्राकृतिक आपदा, भूकम्प, बाढ़ चक्रवात, आग, सुनामी, भगदड़, घरेलू दुर्घटनायें, औद्योगिक दुर्घटनाएँ, बिजली एवं गाज, सूखा, परिवहन दुर्घटनाओं की रोकथाम संबंधी कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना।
23. केन्द्रीय शासन, राज्य शासन, स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना।
24. विधि जागरूकता, विधिक साक्षरता, विधिक सहायता संबंधी प्रचार प्रसार करना।

रचमल्होत्रा   Sandeep   Kancho

<u>सदस्यता</u> :– संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :–

(अ) **<u>संरक्षण सदस्य</u>** –

संस्था को दान के रूप में रूपये **5000** या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) **<u>आजीवन सदस्य</u>** –

जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रूपये **2500** या उससे अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रूपये **5000** या उससे अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) **<u>साधारण सदस्य</u>** –

जो व्यक्ति रूपये **20** प्रतिमाह रूपये **240** प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये वह चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नही देगा। उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

सत्य प्रतिलिपि

(द) **<u>सम्माननीय सदस्य</u>** –

संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु उन्हे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

<u>सदस्यता की प्राप्ति</u> :– प्रत्येक व्यक्ति जो समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।

<u>सदस्यों की योग्यता</u> :– संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी भी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :–

(1) आयु 18 वर्ष से कम ना हो

(2) भारतीय नागरिक हो

(3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।

(4) सद्‌चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

अध्यक्ष **लिबरा मीडिया**	**सचिव** **लिबरा मीडिया**	**कोषाध्यक्ष** **लिबरा मीडिया**

7. **<u>सदस्यता की समाप्तिः</u>– संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगी :–**

(1) मृत्यु हो जाने पर।
(2) पागल हो जाने पर।
(3) संस्था की देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये के अनुसार जमा न करने पर।
(4) त्याग–पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
(5) चरित्र दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिए जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगा।

8. **<u>संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जायेगी, जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे:–</u>**

1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय।
2) वह तारिख, जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नम्बर।
3) वह तारिख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो।
4) सदस्यों के हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि

9. (अ) **<u>साधारण सभाः</u>–**

साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के समावेशित होगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकता अनुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी, जिसकी बैठक **मई** माह में होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति द्वारा निश्चित कर **15** दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम **3/5** सदस्यों का होगा। संस्था की आमसभा पंजीयन दिनाँक से **3** माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

(ब) **<u>प्रबंधकारिणी सभाः</u>–**

प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनाँक से **7** दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य का भेजी जानी आवश्यक होगी। बैठक में कोरम **1/2** सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होती है तो बैठक **1** घन्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी। जिसके लिये कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।

अध्यक्ष **लिबरा मीडिया**	**सचिव** **लिबरा मीडिया**	**कोषाध्यक्ष** **लिबरा मीडिया**

(स) <u>विशेषः–</u>

यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या) के **3/2** सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने लिये साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने के दिनाँक से **14** दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयन को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

10. **<u>साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य–</u>**

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।
(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना, जो प्रबंध कारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।
(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृति करना।
(छ) बजट का अनुमोदन करना।

सत्य प्रतिलिपि

11. **<u>प्रबंधकारिणी का गठन</u>**– ट्रस्टीज यदि कोई हो, समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 (अ, ब, स) में दर्शाये गये सदस्यों, जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों, बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदधिकारियो तथा प्रबंध कारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(अ) अध्यक्ष,
(ब) उपाध्यक्ष
(स) सचिव,
(द) कोषाध्यक्ष,
(ध) संयुक्त सचिव एवं सदस्य–2।

संस्था की प्रबंधकारिणी में कुल **7** सदस्य होंगे।

12. **<u>प्रबंध समिति का कार्यकाल</u>**– प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। समिति का यथेष्ट कारण होने पर, उस समय तक, जब तक कि नई प्रबंध कारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, कार्य करती रहेगी। किन्तु उक्त अवधि **6** माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

अध्यक्ष लिबरा मीडिया	**सचिव** **लिबरा मीडिया**	**कोषाध्यक्ष** **लिबरा मीडिया**

13. **<u>प्रबंध कारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य</u>–**

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है, उनकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना संस्था को चल–अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों, प्रशिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(ई) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाये।

(च) संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थायी संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या हस्तांतरित नहीं की जायेगी।

सत्य प्रतिलिपि

14. **<u>अध्यक्ष के अधिकार</u>–** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंध कारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

15. **<u>उपाध्यक्ष के अधिकार</u>–** अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

16. **<u>सचिव (मंत्री) के अधिकार</u>–**

1. साधारण सभा व प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों, प्रस्तुत करना।
2. समिति के आय–व्यय का लेखा परीक्षक से प्रतिवेदन तैयार कराके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।
3. समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने कर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।
4. सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये **3000/– (तीन हजार रूपए मात्र)** व्यय का करने का अधिकार होगा।

17. **<u>संयुक्त सचिव के अधिकार</u>** – सचिव की अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों का उपयोग संयुक्त सचिव करेगा।

18. **<u>कोषाध्यक्ष के अधिकार</u>** – समिति की धनराशि निष्ठा के साथ पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

19. **<u>बैंक खाता</u>** – संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी। धन आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। बैंक खाता संस्था के नाम से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम **1500.00 (एक हजार पाँच सौ रूपए)** रहेंगे।

20. **<u>पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी</u>** – अधिनियम की धारा 27 अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनाँक से **45** दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप और कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परिक्षित लेखा, नियत शुल्क सहित भेजेगी।

21. **<u>संशोधन</u>** – संस्था का संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के **2/3** मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार फर्म्स एवं संस्थाएँ को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

22. **<u>विघटन</u>** – संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के **3/5** मतों से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधन के अनुसार की जावेगी।

23. **<u>सम्पत्ति</u>** – संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल संपत्ति (अस्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्य प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी। उक्त नियम शुल्क संस्था द्वारा जमा की जावेगी। जिसके साथ नियम शुल्क देय होगी।

अध्यक्ष **लिबरा मीडिया**	**सचिव** **लिबरा मीडिया**	Kanchan **कोषाध्यक्ष** **लिबरा मीडिया**

24. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना** – संस्था की पंजीयन नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ की वह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

25. **विवाद** – संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझााने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद या प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

सत्य प्रतिलिपि

26. **अर्थ दण्ड निष्कासन**

क. जो सदस्य वार्षिक चंदे की रकम उस वर्ष में नियमानुसार जमा नहीं करेगा तो उसको वर्ष की समाप्ति के तीन माह के अंदर चंदे की रकम अदा करने पर अतिरिक्त रकम साथ अदा करनी पड़ेगी।

ख. जो सदस्य मासिक चंदे की रकम को निश्चित अवधि में अदा नहीं करेगा, उसे तीन माह के अंदर 25 प्रतिशत अतिरिक्त रकम साथ अदा करनी होगी।

ग. वार्षिक या मासिक चन्दा देने वाला कोई व्यक्ति यदि 06 माह तक निश्चित अवधि के बाद लगातार चंदा न दे तो ऐसे व्यक्ति को कार्यकारिणी द्वारा सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता है।

घ. सदस्य द्वारा निश्चित अवधि के पश्चात् लगातार 06 माह तक चंदा देने पर ऐसे सदस्य को प्रबंधकारिणी द्वारा एक नोटिस दिया जावेगा। उक्त नोटिस के जवाब आने पर प्रबंधकारिणी उस पर विचार कर उक्त सदस्य का नाम काटने का या ना काटने का निर्णय करेगी। यदि नोटिस का कोई उत्तर प्राप्त न हो जो भी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

द. प्रबंधकारिणी के समुचित प्रमाण मिलने पर, जाँच करने पर यह संतोष जो जाये कि काई सदस्य समिति के उद्देश्यों के विपरीत कार्य कर रहा हो, नियमों का पालन न कर रहा हो, समिति की संपत्ति का हानि पहुँचा रहा हो, अथवा अन्य किसी प्रकार से समिति के लिए हानिकारक हो ऐसी स्थिति में उक्त सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के संबंध में प्रस्ताव साधारण सभा की आवश्यक बैठक में उपस्थित सदस्यों को 3/5 के बहुमत से स्वीकृत होना आवश्यक होगा।

अध्यक्ष लिबरा मीडिया	सचिव लिबरा मीडिया	सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं बिलासपुर संभाग बिलासपुर	कोषाध्यक्ष लिबरा मीडिया

प्रमाणित प्रति
शुल्क 400/- चालान क्र. 133/1869 दिनांक 1/12/08 द्वारा किया गया है जो
पंजीयन क्र. 7690 दिनांक 1/2/08
द्वारा पंजीकृत क्र. संस्था की मूल दस्तावेज
की प्रमाणित प्रति ... जारी होने ...

old doc

प्रारूप–सात

नियम 11देखिये

रजिस्ट्रार, फर्म एवं सोसाइटी को मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 के अधीन शासी निकाय सूची की जानकारी ... निर्देषन–पत्र।

(प्रोफार्मा)

1. सोसाइटी का पूरा नाम तथा पता ... बिलासपुर, (C.G.)

2. रजिस्ट्रीकरण कमांक तथा तारीख 7690 01/02/08

3. उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या, उनके नाम तथा पता संलग्न करें 15

4. रजिस्ट्रीकृत नियमों तथा विनियमों के अनुसार शासी निकाय की अवधि. तीन वर्ष

5. वर्तमान निर्वाचन की तारीख और उपस्थित सदस्य संख्या एवं गणपूर्ति क्या थी. 9/02/08

6. विद्यमान पदाधिकारियों ने पूर्व पदाधिकारियों से किस तारीख को कार्यभार ग्रहण किया,एक सूची उनके नाम,पते तथा उपजीविकाएं उनके हस्ताक्षर सहित संलग्न करें 9/02/08

7. पूर्व निर्वाचन की तारीख. नहीं

8. सोसाइटी के नियमों तथा विनियम के अनुसार वार्षिक साधारण सम्मिलन का मास तथा तारीख. मई

9. अंतिम वार्षिक सूची कब प्रस्तुत की गई थी यदि प्रस्तुत नहीं की गई होतो उसका क्या कारण हैं. —

10. इस वर्ष के वार्षिक साधारण सम्मेलन के कार्यवृत्त तारीख सहित संलग्न करें. 9/02/08

11. मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 के अधीनसूची की वार्षिक फीस रूपये. ... रसीद/चालान कमांक 10/1/5941904 तारीख 26/06/08 द्वारा जमाकरदी गई है चालान की मूल प्रति संलग्न है।

अध्यक्ष की घोषणा

मैं ... पुत्र ... आयु 42 वर्ष प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में एतत् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सत्य हैं और मैं यह जानता हूँ कि कोई मिथ्या जानकारी देना अधिनियम की धारा 38 (2) के अधीन दण्डनीय होगा।

अध्यक्ष के हस्ताक्षर

या

सचिव के हस्ताक्षर

सचिव

पूर्व में नियुक्त प्रबंधकारिणी के सदस्यों की सूची

क्र.	सदस्य का नाम	पद जिस पर नियुक्त हुए	व्यवसाय	पता	पद जिस पर किस दिनांक से केस दिनांक तक कार्यरत रहें	हस्ताक्षर
1.	आर.सी. महरोत्रा	अध्यक्ष	समाज सेवा	क्रांति नगर, बिलासपुर	दिनांक 9.02.08 से 9.02.2011 तक	RCमहरोत्रा
2.	विवेक पाण्डेय	उपाध्यक्ष	वकालत	पारिजात एक्सटेंशन, BSP		VP
3.	संज्ञा टंडन	सचिव	व्यापार	B/6, क्रांति नगर, बिलासपुर		
4.	गिरीश मिश्रा	सहसचिव	व्यापार	बंधवापारा, सरकंडा		[signature]
5	सुश्री कंचन	कोषाध्यक्ष	व्यापार	विवेकानंद नगर, बिलासपुर		Girish
6	शुभदा पाण्डेय	सदस्य	समाजसेवा	यदुनंदन नगर, बिलासपुर		Kanchan
7.	श्वेता पाण्डेय	सदस्य	व्यापार	जूना बिलासपुर		[signature]
						Shweta

कुल सदस्यों की सूची

क्र.	सदस्य का नाम	सदस्य का प्रकार	सदस्य ग्रहण करने की तिथी	व्यवसाय	सदस्य समाप्ति की तिथी	हस्ताक्षर
1	आर. सी. आरोड़ा	साधारण	9/02/08	समाजसेवा	निरंक	रचमहरो
2	विवेक पाण्डेय	साधारण	"	वकालत	"	VP
3	संजा टंडन	साधारण	"	व्यापार	"	Sandon
4	गिरीश मिश्रा	साधारण	"	व्यापार	"	
5	खुशी कंवला	अनु. जाति	"	व्यापार	"	Girish Kanchan
6	शुभदा पाण्डेय	साधारण	"	समाजसेवा	"	Sp.
7	श्वेता पाण्डेय	साधारण	"	व्यापार	"	Shweta

वर्तमान में नियुक्त प्रबंधकारिणी के सदस्यों की सूची

क्र.	सदस्य का नाम	पद जिस पर नियुक्त हुए	व्यवसाय	पता	पद जिस पर किस दिनांक से किस दिनांक तक कार्यरत रहेंगे।	हस्ताक्षर
1	आर. सी. महरोत्रा	अध्यक्ष	समाज सेवा	क्रांति नगर, बिलासपुर	दि० 9/02/08 से 9/02/2011 तक	रचमहरोत्रा
2.	विवेक पाण्डेय	उपाध्यक्ष	वकालत	पारिजात एक्सटेंशन, Bsp.		VP
3.	संजा टंडन	सचिव	व्यापार	B/6, क्रांतिनगर बिलासपुर		Sandan
4.	गिरीश मिश्रा	संयुक्त सचिव	,,	बंगालीपारा, सरकंडा		Gaush
5.	श्री कंचन	कोषाध्यक्ष	,,	विवेकानंद नगर, बिलासपुर		Kanchan
6)	शुभदा पाण्डेय	सदस्य	समाजसेवा	यदुनंदन नगर, बिला.		SP
7)	श्वेता पाण्डेय	सदस्य	व्यापार	जूना बिलासपुर		Shweta

कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं बिलासपुर संभाग, न्यू कंपोजिट बिल्डिंग द्वितीय तल, बिलासपुर

क्रमांक / रि–1106 / 2008 /

बिलासपुर– 17.02.17

प्रति,
अध्यक्ष / सचिव
लिब्रा वेलफेयर सोसायटी
बी1 / 6, क्रांतिनगर, बिलासपुर

विषय : अधिनियम की धारा 27 के अधीन कार्यकारिणी की सूची के संबंध में।

संदर्भ – प्राप्त जानकारी दिनांक 17.02.17.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संस्था लिब्रा वेलफेयर सोसायटी, बी1 / 6, क्रांतिनगर, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 7690 दिनांक 01.02.2008 पर पंजीयत है, जिस पर छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 संशोधित 1998 के समस्त प्रवधान प्रभावशल हैं।

संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा बैठक दिनांक 20.01.17 की जानकारी नियत प्रपत्र पर इस कार्यालय में दिनांक 17.02.17 को प्रस्तुत की गई है। उक्त जानकारी के साथ प्रस्तुत संलग्न कार्यकारिणी की सूची में निम्नांकित पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नामों का उल्लेख है –

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पद
01	रचिता टंडन	अध्यक्ष
02	सुनील चिपड़े	उपाध्यक्ष
03	संज्ञा टंडन	सचिव
04	गिरीश मिश्रा	सहसचिव
05	अनीश श्रीवास	कोषाध्यक्ष
06	शुभदा पाण्डे	सदस्य
07	श्वेता पाण्डेय	सदस्य

(अजय ...)
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएं
बिलासपुर संभाग

प्रारूप - सात
नियम 11 देखिये

रजिस्ट्रार, फार्म एवं सोसायटी को छत्तीसगढ़ सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 के अधिन शासी निकाय सूची की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देशन-पत्र

(प्रोफार्मा)

1. सोसाइटी का पूरा नाम तथा पता .... बिलासपुर तेलंगाना ... सोसायटी ...16, ... बिलासपुर (C.G.)
2. रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा तारीख 36901/08/08
3. उपस्थित कुल सदस्यो तथा विनियमो के अनुसार शासीनिकाय की अवधि ....
4. रजिस्ट्रीकृत नियमों तथा विनियमों के अनुसार शासीनिकाय की अवधि .... तीन वर्ष
5. वर्तमान निर्वाचन की तारीख और सदस्य संख्या एवं गणपूर्ति क्या थी ? 12/05/2015
6. विद्यमान पदाधिकारियों ने पूर्व पदाधिकारियों से किस तारीख को कार्यभार ग्रहण किया है एक सूची उनके नाम, पते तथा उपजीविकाए उनके हस्ताक्षर सहित संलग्न करें 12/05/2015
7. पूर्व निर्वाचन की तारीख 12/05/2014
8. सोसाइटी के नियमों तथा विनियम के अनुसार वार्षिक साधारण सम्मिलन का मास तथा तारीख 12/05/2014
9. अंतिम वार्षिक सूची कब प्रस्तुत की गई थी ? यदि प्रस्तुत नहीं की गई हो तो उसका क्या कारण है ? .... —
10. इस वर्ष के वार्षिक साधारण सम्मेलन के कार्यवृत्त तारीख सहित संलग्न करे 12/05/2015
11. छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 के अधीसूची की वार्षिक फीस रू. ...800... रसीद/चालान क्रमांक ...24/115 ...4... तारीख ...23/11/2015.... द्वारा जमा कर दी गई है चालान की मूल प्रति संलग्न है

अध्यक्ष की घोषणा

मैं ...रचिता टंडन............ पुत्री ...राजेश टंडन... .... आयु ...21...वर्ष पाधिकृत पदाधिकारी के रूप मे एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सत्य है और मै यह जानता हूँ कि कोई मिथ्या जानकारी देना अधिनियम की धारा 38 (2) के अधीन दण्डनीय होगा।

अध्यक्ष के हस्ताक्षर
या
सचिव के हस्ताक्षर

वर्तमान मे नियुक्त प्रबंधकारिणी के सदस्यों की सूची

क्र.	सदस्य का नाम	पद जिस पर नियुक्त हुए	व्यवसाय	पता	पद जिस पर किस दिनांक से किस दिनांक तक कार्यरत रहेंगे	हस्ताक्षर
1.	रचिता टंडन	अध्यक्ष	व्यापार	B/6, क्रांति नगर, बिलासपुर	12/03/14 से	
2.	सुनील चिपड़े	उपाध्यक्ष	व्यापार	बंगालीपारा, सरकंडा बिलासपुर	11/03/17.	
3.	संजना टंडन	सचिव	व्यापार	B/6, क्रांति नगर, बिलासपुर		
4.	गिरीश मिश्रा	सहसचिव	व्यापार	बंगालीपारा, सरकंडा बिलासपुर		
5.	अनीश श्रीवास	कोषाध्यक्ष	व्यापार	विवेकानंद नगर, बिलासपुर		
6.	शुभदा पाण्डेय	सदस्य	समाजसेवा	यदुनंदन नगर, बिलासपुर		
7.	श्वेता पाण्डेय	सदस्य	व्यापार	जूना बिलासपुर		

क्र.	सदस्य का नाम	सदस्य का प्रकार	सदस्य ग्रहण करने की तिथी	व्यवसाय	सदस्य समाप्ति की तिथी	हस्ताक्षर
1.	रचिना टंडन	अध्यक्ष	08/05/13	व्यापार	निरंक	
2.	सुनील चिपडे	उपाध्यक्ष	09/02/08	व्यापार	"	
3.	संज्ञा टंडन	सचिव	09/02/08	व्यापार	"	
4.	गिरीश मिश्रा	सहसचिव	09/02/08	व्यापार	"	
5.	अनीश श्रीवास	कोषाध्यक्ष	08/05/13	व्यापार	"	
6.	शुभदा पाण्डेय	सदस्य	09/02/08	समाजसेवा	"	
7.	श्वेता पाण्डेय	सदस्य	09/02/08	व्यापार	"	

कार्यालय सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं बिलासपुर संभाग,
न्यू कंपोजिट बिल्डिंग द्वितीय तल, बिलासपुर

क्रमांक / रि–1106 / 2008 /

बिलासपुर– 17.02.17

प्रति,
अध्यक्ष / सचिव
लिब्रा वेलफेयर सोसायटी
बी1 / 6, क्रांतिनगर, बिलासपुर

विषय : अधिनियम की धारा 27 के अधीन कार्यकारिणी की सूची के संबंध में।

संदर्भ – प्राप्त जानकारी दिनांक 17.02.17.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संस्था लिब्रा वेलफेयर सोसायटी, बी1 / 6, क्रांतिनगर, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 7690 दिनांक 01.02.2008 पर पंजीयत है, जिस पर छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 संशोधित 1998 के समस्त प्रवधान प्रभावशल हैं।

संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा बैठक दिनांक 20.01.17 की जानकारी नियत प्रपत्र पर इस कार्यालय में दिनांक 17.02.17 को प्रस्तुत की गई है। उक्त जानकारी के साथ प्रस्तुत संलग्न कार्यकारिणी की सूची में निम्नांकित पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नामों का उल्लेख है –

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पद
01	रचिता टंडन	अध्यक्ष
02	सुनील चिपड़े	उपाध्यक्ष
03	संज्ञा टंडन	सचिव
04	गिरीश मिश्रा	सहसचिव
05	अनीश श्रीवास	कोषाध्यक्ष
06	शुभदा पाण्डे	सदस्य
07	श्वेता पाण्डेय	सदस्य

(अजय ...)
सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएं
बिलासपुर संभाग